# न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ. |
|---|---|
| 18/11/21 | पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली का निस्तारण नहीं होने से आईन्दा पत्रावली न्यायालय हाजा में दिनांक 24.1.22 को पेश हो।<br>एस डी ओ / रीडर |
| 24/1/22 | वकुलत फरीकेन उपस्थित अधिवक्तागण ने कार्य स्थगन किया हुआ है। पूर्वादेश पालना में दि० 5/5/22 को पेश होवे।<br>ए |
| 05/05/22 | पत्रावली पेश। वकील वादी व वादी कोई उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगवाई गई। उक्त उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं आये और नहीं कोई विपक्ष चेहरा उपस्थित आये। अवसान के 05 बजे तक के ऐसी स्थिति में पत्रावली की अग्रीम कार्यवाही को शेष रख वादी का वाद पत्र अंतर्गत आदेश 17 नियम 3 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली का रकबा दोनों तरफ के कायम है। पत्रावली जिला कलेक्टर के नजर में शामिल करें। |